प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 05.10.2024

- **थाना रुरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का मात्र 30 घण्टे के अन्दर किया गया सफल अनावरण।**
- **थाना रुरा क्षेत्र के गेंदामऊ नहर पुल पर हत्या की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रुरा पर दिनांक 04.10.2024 को वादी श्री बृजेश पुत्र स्व0 प्रेमशंकर निवासी गदनपुर थाना रुरा कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें वादी के पिता की हत्या कर नहर में फेंक देने के सम्बन्ध में थाना रुरा पर मु0अ0सं0 339/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 02 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। थाना रुरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित नामजद अभियुक्त 1. विमल पुत्र रामौतार कश्यप निवासी ग्राम गेंदामऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 05.10.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर रूरा सराय गढेवा वाले मार्ग से 30 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त विमल से पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं दिनांक 03.10.2024 को समय करीब 4 बजे अपनी मौसी को छोडकर गेंदामऊ नहर पुल पर प्रेमशंकर की दुकान पर पहुंचा था। मैं थोडे नशे में भी था और प्रेमशंकर की चारपाई पर सो गया था। शाम करीब 08.30 या 09.00 बजे प्रेमशंकर मुझे चारपाई से उठा रहा था। इसी बात को लेकर मेरी और प्रेमशंकर की आपस में खींचातानी हो गयी थी। मैंने गुस्से में आकर प्रेमशंकर को धक्का मार दिया था, क्योंकि नहर पीछे ही थी वह उसमें गिर गया तथा मर गया। मैं वहाँ से किसी तरह भागता हुआ आया और गिरकर मुझे भी चोट लग गयी थी। आज मैं कहीं बाहर जाने की फिराक में था कि आप लोगों ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. विमल पुत्र रामौतार कश्यप निवासी ग्राम गेंदामऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-339/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना रुरा कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश शर्मा
2. व0उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह
3. का0 231 सूबेदार
4. का0 322 राकेश सिंह